भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1044

जिसका उत्तर सोमवार, 29 जुलाई, 2024/7 श्रावण, 1946 (शक) को दिया गया

एसएआरएफएईएसआई और डीआरटी अधिनियमों में संशोधन

1044. श्री रामप्रीत मंडल:

श्री गिरिधारी यादव:

श्री राजेश रंजन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार एसएआरएफएईएसआई और डीआरटी अधिनियमों में संशोधन की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान अधिनियम प्रभावी नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): इस समय ऋण वसूली और शोधन अक्षमता (आर.डी.बी) अधिनियम, 1993 तथा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

*****